

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5272
उत्तर दिनांक 02/04/2025 को दिया गया

दुर्लभ मृदा खनिजों से युक्त समुद्री रेत का खनन

5272. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

- (क) क्या खान मंत्रालय ने केरल तटीय क्षेत्र से दुर्लभ मृदा खनिजों और रेडियोधर्मी तत्वों से युक्त समुद्री रेत के खनन के लिए निजी एजेंसियों को नियुक्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग से अनुमति प्राप्त की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही यदि अनुमति दी गई है तो इसके आदेश का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या खान विभाग परमाणु ऊर्जा विभाग की पूर्व सहमति और अनुमति के बिना दुर्लभ मृदा खनिजों और रेडियोधर्मी तत्वों से युक्त समुद्री रेत के खनन के लिए निजी एजेंसियों को नियुक्त करने में सक्षम है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
- (ङ) क्या खान विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग ने कोल्लम तटीय क्षेत्र में अपतटीय रेत में दुर्लभ मृदा खनिजों और रेडियोधर्मी तत्वों के प्रतिशत के संबंध में कोई अध्ययन या जांच की है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) से (घ) केंद्र सरकार ने अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 के अनुसार समग्र लाइसेंस अर्थात् अन्वेषण लाइसेंस-सह-उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए दिनांक 28.11.2024 को 13 अपतटीय ब्लॉकों की पहली नीलामी शुरू की। इसमें जल केरल के तट से परे क्षेत्रीय जल सीमा के बाहर तीन अपतटीय ब्लॉक निर्माण रेत शामिल हैं।

अपतटीय क्षेत्रों के प्रचालन संबंधी अधिकार नियम, 2024 के नियम 5 (2) के अनुसार, प्रचालन अधिकार प्रदान करने के लिए किसी भी अपतटीय क्षेत्र को अधिसूचित करने से

पहले परमाणु ऊर्जा विभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) और मत्स्य पालन विभाग सहित हितधारक मंत्रालयों/विभागों से पूर्व परामर्श आवश्यक है।

इस मामले में, खान मंत्रालय ने नीलामी के लिए ब्लॉकों की अधिसूचना से पहले परमाणु ऊर्जा विभाग और अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श किया है और ब्लॉक नीलामी की अधिसूचना से पहले सभी मंत्रालयों/विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर ली गई।

इसके अलावा, ओएएमडीआर अधिनियम, 2002 की धारा 6 के प्रथम प्रावधान के अनुसार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की पहली अनुसूची के भाग बी में निर्दिष्ट किसी भी खनिज के संबंध में सरकार, सरकारी कंपनी या निगम के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र के लिए कोई अन्वेषण लाइसेंस या समग्र लाइसेंस या उत्पादन पट्टा नहीं दिया जाएगा। जीएसआई रिपोर्ट के अनुसार, सभी तीन प्रस्तावित ब्लॉकों में केवल सिलिका रेत पाई गई है और इसमें किसी रेडियोसक्रिय तत्वों की उपस्थिति की सूचना नहीं दी गई है।

(ड) हां।

(च) परमाणु ऊर्जा विभाग ने कोल्लम तट की अपतटीय रेत में प्रारंभिक जांच की है, जिसमें ~0.04 मिलियन टन स्वस्थाने मोनाज़ाइट (9-10% Th-ऑक्साइड और 55-60% विरल मृदा तत्व ऑक्साइड युक्त एक फॉस्फेट खनिज) स्रोत का अनुमान है।
